राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर – 17
पंचकूला, हरियाणा – 134109

Website:www.secharyana.gov.in
Email id:sec@hry.nic.in

Phone: +91172 2584810
Fax : +91 172 258 5904

आदेश

जैसा कि श्रीमती प्रीतपाल कौर पत्नी श्री सुरजीत सिंह, निवासी वार्ड नं0 15, नगरपालिका नारायणगढ़, जिला अम्बाला ने वर्ष 2022 में नगरपालिका नारायणगढ़ के आम चुनावों में प्रधान पद का चुनाव लड़ा था। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13H में दिये गये प्रावधान अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के तीस दिनों के अन्दर-अन्दर अपना चुनाव खर्च रजिस्टर उपायुक्त, अम्बाला के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य था। धारा 13H में दिये गये प्रावधान निम्न प्रकार से हैः–

> "Every contesting candidate or his election agent shall, lodge account of election expenditure within thirty days from the date of declaration of election result with the Deputy Commissioner or an officer authorized by the State Election Commission. The Deputy Commissioner or such officer shall, send a list of those candidates who contested by fail to lodge the account of election expenditure or made expenditure beyond the limit prescribed by the State Election declaration of election result. The State Election Commission shall accordingly pass an order of their disqualification under section 13 F".

2. जैसा कि चुनाव खर्च रजिस्ट्र समय पर जमा न करवाने पर उपायुक्त, अम्बाला द्वारा श्रीमती प्रीतपाल कौर को अपने आदेश कमांक 1258/एल0एफ0ए0 दिनांक 22.11.2023 अनुसार हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13एफ के तहत पांच वर्ष के लिये चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया गया। तदनुसार राज्य

निर्वाचन आयोग, हरियाणा, पंचकूला द्वारा अपने कार्यालय आदेश कमांक एस0ई0सी0/3एम0ई0/2024/22, दिनांक 05.01.2024 अनुसार श्रीमती प्रीतपाल कौर पत्नी श्री सुरजीत सिंह, निवासी वार्ड नं0 15, नगरपालिका–नारायणगढ़, जिला अम्बाला को अयोग्य ठहराने बारे अधिसूचना हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 05.01.2024 को अधिसूचित करवा दी गई थी।

3. जैसा कि श्रीमती प्रीतपाल कौर पत्नी श्री सुरजीत सिंह, निवासी वार्ड नं0 15, नगरपालिका नारायणगढ़, जिला अम्बाला द्वारा दिनांक 30.08.2024 को निजी सुनवाई के लिये मेरे समक्ष उपस्थित होकर बताया कि उसने अपना चुनाव खर्चा विवरण नगरपालिका नारायणगढ़ में सचिव, नगरपालिका– नारायणगढ़, जिला अम्बाला को जमा करवा दिया था, जोकि उनके द्वारा गुम कर दिया गया। उपायुक्त, अम्बाला के कार्यालय से नोटिस प्राप्त होने पर उसने चुनाव खर्च ब्यौरे की एक प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग में जमा करवा दी थी, जोकि रिकार्ड में उपलब्ध है। नियमानुसार उसने अपना चुनाव खर्च ब्यौरा रजिस्ट्र चुनाव सम्पन्न होने के 30 दिन के अंदर सम्बन्धित नगरपालिका में जमा करवा दिया था तथा उसका चुनावी खर्च तय चुनाव खर्च सीमा से कम है। अपीलार्थी श्रीमती प्रीतपाल कौर ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुये यह भी अनुरोध किया गया कि चूँकि इस मामले में उसकी कोई गल्ती नहीं है, अतः उसे भविष्य में पाँच वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य ठहराये जाने के आदेश को वापिस लेने का कष्ट करें।

4. मैने अपीलार्थी श्रीमती प्रीतपाल कौर पत्नी श्री सुरजीत सिंह निवासी वार्ड नं0 15, नगरपालिका नारायणगढ़, जिला अम्बाला को भली भांति सुन लिया है। उस द्वारा चुनावी खर्च ब्यौरे की एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग में मौजूद है। यद्यपि उपायुक्त अम्बाला ने उपमण्डल

अधिकारी (नागरिक), नारायणगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर यह लिखा है कि श्रीमती प्रीतपाल कौर उम्मीदवार द्वारा खर्च का ब्यौरा नगरपालिका अथवा उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाया जाना सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि नगरपालिका कर्मचारी इस ओर विशेष ध्यान नहीं देते तथा उम्मीदवारों द्वारा खर्च रजिस्ट्र जमा करवाने बारे कोई रसीद भी नहीं देते। अतः मैं मामले पर सहानुभूवितपूर्वक विचार करते हुये तथा श्रीमती प्रीतपाल कौर को संदेह का लाभ देते हुये उपायुक्त, अम्बाला द्वारा पारित आदेश कमांक 1258/एल0एफ0ए0 दिनांक 22.11.2023 तथा राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा पारित आदेश क्रमांक एस0ई0सी0/3एम0ई0/2024/22, दिनांक 05.01.2024 जिसके द्वारा श्रीमती प्रीतपाल कौर पत्नी श्री सुरजीत सिंह, निवासी वार्ड नं0 15, नगरपालिका- नारायणगढ़ को पांच वर्षो के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किये गया था, को निरस्त करता हूं तथा आदेश करता हूं कि श्रीमती प्रीतपाल कौर पत्नी श्री सुरजीत सिंह, निवासी वार्ड नं0 15, नगरपालिका नारायणगढ़, जिला अम्बाला का नाम भविष्य में चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य किये गये प्रत्याशियों की सूची से हटा दिया जाये।

5. मैं उक्त आदेशों को नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13एफ के तहत हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने का भी आदेश पारित करता हूं।

स्थानः पंचकूला
दिनांक 30 अगस्त 2024

धनपत सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा

क्रमांक रा0नि0आ0/3एम0ई0/2024/1192-97 दिनांक 30.08.2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, पंचकूला।

2. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
3. उपायुक्त, अम्बाला।
4. सचिव, नगरपालिका– नारायणगढ़, जिला अम्बाला ।
5. श्रीमती प्रीतपाल कौर, पत्नी श्री सुरजीत सिंह, निवासी वार्ड नं0 15, नगरपालिका नारायणगढ़, जिला अम्बाला ।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, पचंकूला को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाती है।

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृतेः राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,
पंचकूला। 30/8/2024